"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई 2013—श्रावण 5, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2013

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक (पार्ट-2).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु "राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008" की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2008 एवं यथा संशोधित दिनांक 23-12-2011 एवं दिनांक 24-12-2012 को जारी किया गया है. राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में निम्नानुसार और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियम में :-

1. राज्य सेवा परीक्षा नियम के परिशिष्ट-एक, परीक्षा योजना के कंडिका 2 के अंतर्गत बिन्दु○ मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र क्रमांक 03 से 07 में निम्नानुसार प्रश्न होंगे - के आगे खण्ड क्रमांक 01 से खण्ड क्रमांक 05 तक निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

खण्ड 01- इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 20 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा. प्रत्येक प्रश्न हेतु 02 अंक होगा. इस तरह इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे. (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग-30)

खण्ड 02- इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 10 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा. प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 अंक होगा. इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे. (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग-60)

खण्ड 03 - इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 05 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा. प्रत्येक प्रश्न हेतु 8 अंक होगा. इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे. (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग-100)

खण्ड 04 - इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 03 प्रश्न दिये जायेंगे, जिनमें से कोई 02 प्रश्नों का उत्तर देना होगा. प्रत्येक प्रश्न हेतु 20 अंक होगा. इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे. (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग-250)

खण्ड 05 - इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 02 प्रश्न दिये जायेंगे, जिनमें से कोई 01 प्रश्न का उत्तर देना होगा. प्रश्न हेतु 40 अंक होगा. इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे. (प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग-500)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ**, सचिव .

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक (पार्ट-2)---भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 27-7-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ**, सचिव .

Raipur, the 27th July 2013

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1/One.—Combined competitive examination called "State Service Examination Rule 2008" for recruitment of the different services/posts to be held by Chhattisgarh Public Service Commission has been issued on 27th August, 2008 and as corrected date 23-12-2011 and 24-12-2012 for the State Service Examination following amendment shall be made in "State Service Examination Rule 2008" in Plan of Examination Scheme and Syllabus, namely :-

AMENDMENT

In the Said rules :-

I. EXAMINATION SCHEME OF STATE SERVICE EXAMINATION, Annexure-I, Clause 2 point ● Paper III to VII will contain the question as given below-section 01 to section 05 shall be substitued as following :

Paper 03 to 07 will contain the question as given below :-

Section 01- In this section there will be 20 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 02 marks. Thus the maximum marks in this section will be 40 (Word limit for answer of each question-about 30)

Section 02- In this section there will be10 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 04 marks. Thus the maximum marks in this section will be 40. (Word limit for answer of each question-about 60)

Section 03- In this section there will be 05 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 08 marks. Thus the maximum marks in this section will be 40. (Word limit for answer of each question-about 100)

Section 04- In this section total 03 questions will be given from various parts of the syllabus of the paper concerned. Out of which 02 questions will have to be solved. Each question will carry 20 marks. Thus the maximum marks in this section will be 40. (Word limit for answer of each question-about 250)

Section 05- In this section total 02 questions will be given from various parts of the syllabus of paper concerned. Out of which 01 question will have to be solved. This question will carry 40 marks. Thus the maximum marks in this section will be 40. (Word limit for answer of the question-about 500)

2. STATE SERVICE (Main) EXAMINATION, Annexure-III (QUESTION PAPER-01 to 07) shall be substituted as following :

QUESTION PAPER-01 (LANGUAGE)

PART-01 : GENERAL HINDI (सामान्य हिन्दी)
PART-02 : GENERAL SANSKRIT (सामान्य संस्कृत)
PART-03 : GENERAL ENGLISH
PART-04 : CHHATTISGARHI LANGUAGE (छत्तीसगढ़ी भाषा)

QUESTION PAPER-02 (ESSAY)

Candidates will have to write two essays on problems (Reason, present status including data and solution) from each part. Three problems will be given in each part ; candidate will have to write essay on each part about 1500 words. Each part will carry 100 marks.

PART-01 : PROBLEMS OF NATIONAL LEVEL
PART-02 : PROBLEMS RELATING TO THE STATE OF CHHATTISGARH

QUESTION PAPER-03 (HISTORY, CONSTITUTION AND PUBLIC ADMINISTRATION)

PART-01 : HISTORY OF INDIA
PART-02 : INDIAN NATIONAL MOVEMENT
PART-03 : HISTORY OF CHHATTISGARH AND CONTRIBUTION OF CHHATTISGARH NATIONAL MOVEMENT.
PART-04 : CONSTITUTION OF INDIA
PART-05 : PUBLIC ADMINISTRATION

QUESTION PAPER-04 (SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRNONMENT)

PART-01 : CHEMISTRY
PART-02 : PHYSICS
PART-03 : BIOLOGY
PART-04 : TECHNOLOGY
PART-05 : ENVIRONMENT

QUESTION PAPER-05 (ECONOMICS AND GEOGRAPHY)

PART-01 : INDIAN ECONOMICS
PART-02 : PLANNING IN INDIA
PART-03 : GEOGRAPHY OF CHHATTISGARH
PART-04 : ECONOMICS OF CHHATTISGARH
PART-05 : AGRICULTURE, FOREST, INDUSTRY AND NATURAL RESOURCE OF CHHATTISGARH

QUESTION PAPER-06 (MATHEMATICS AND REASONING ABILITY)

PART-01 : RATIONAL NUMBERS
PART-02 : COORDINATE GEOMETRY
PART-03 : COMPUTER
PART-04 : DATA ANALYSIS
PART-05 : LOGICAL RESONING

QUESTION PAPER-07 (PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY)

PART-01 : INDIAN PHILOSOPHY AND YOGA
PART-02 : SOCIOLOGY
PART-03 : TRIBES OF CHHATTISGARH
PART-04 : ART OF CHHATTISGARH
PART-05 : CULTURE OF CHHATTISGARH

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.